

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/संस्थां/प्रीपीजी-2024/2024/137

दिनांक : 31/05/2024

समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कॉलेज।

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/

समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।

समस्त अधीक्षक जेल, राजस्थान, अन्य नियंत्रण अधिकारी।

विषय:- प्री-पीजी 2024 में सेवारत कोटे से पात्र चिकित्सकों के आवेदन पत्रों की अनुशंसा कर भिजवाने बाबत।

संदर्भ:- निदेशालय के पत्रांक 125 दिनांक 15.05.2024 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा प्रीपीजी 2024 हेतु संलग्न प्रारूप में नियंत्रण अधिकारियों हेतु आवश्यक निर्देशों में बिन्दु संख्या 08 में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त के स्थान पर "शहरी क्षेत्र/ऐसे चिकित्सा संस्थान जहाँ पर पीजी बोनस मार्क्स देय नहीं है, में पदस्थापित सेवारत (नियमित/प्रोबेशनर) चिकित्सकों को सेवारत कोटे का लाभ प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रपत्र निदेशालय में जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा" पढ़ा जावे।

शेष निर्देश यथावत रहेंगे।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर।

दिनांक : 31/05/2024

क्रमांक : राजपत्रित/संस्थां/प्रीपीजी-2024/2024/137

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक (आर.सी.एच./एड्स/ईएसआई/एमएसयू), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक(राजपत्रित), मुख्यालय।
5. समस्त चिकित्सकों को सूचनार्थ।
6. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर निर्देश है कि उक्त पत्र अविलम्ब विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करते हुए समस्त नियंत्रण अधिकारियों को ई-मेल करावे।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर।